न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 34/2025

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
दुर्गसिंह पुत्र परबत सिंह जाति राजपूत उचित मूल्य दुकानदार (एफपीएस कोड 23764) परो तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2025 जो विभागीय प्रकरण सं. 165/2024 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भूरचन्द जांगिड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित।

<u>आदेश</u>

दिनांक : 03.09.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 165/2024 सरकार बनाम दुर्गसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 21.03.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्रामवासी जसाई द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी श्री दुर्गसिंह पुत्र परबतसिंह उचित मूल्य दुकानदार, परो तहसील बाड़मेर के विरूद्ध गम्भीर अनियमितताएं पाई गई है। जिस पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनयमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:23:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलार्थी का प्राधिकार–पत्र निलम्बित करते हुए उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर जांच संस्थित की गई। जांच उपरांत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2025 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 22.05.2024 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान का कार्य करने के लिए प्राधिकार पत्र दिनांक 01.01.1996 को जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के रूप में सूचारू रूप से नियमित राशन व सेवाऐं ग्रामवासियों को प्रदान करता आ रहा है। जिसके पूर्व में कोई भी शिकायत या विभागीय प्रकरण विचाराधीन व दर्ज नही है एवं न ही ग्रामवासियों द्वारा अपीलार्थी के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उच्च्च अधिकारीयों के समक्ष पेश की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण दिनांक 11.12.2024 को करने पर अपीलार्थी द्वारा समस्त दस्तावेजात, कार्यवाहीयां, स्टॉक रजिस्टर, पोश मशीन, नक्शा दिया गया तथा अन्य जो भी जांच की गई उसमें सभी पूर्ण दस्तावेज व स्टॉक पूर्ण पाया गया परन्तु इसके बावजूद प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गांव के असामाजिक तत्वों के दबाव मे आकर माह मार्च एवं अफैल 2024 के आवंटित गेहूं हेतु राशनकार्डधारक परिवारों के फिंगर लेकर गेहूं उपलब्ध [illegible] जाने के आरोप लगाकर, अपीलार्थी के विरूद्ध राजनीतिक [illegible] उचित मूल्य की राशन दुकानदार का प्रभार किसी अन्य को देने के लिए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। अपीलार्थी पोलिया बुखार से ग्रसित होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:23:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कारण दिनांक 16.01.2025 को जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, जिसकी सूचना अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में प्रदान की गई तथा सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया परन्तु उतरदाता ने अपीलार्थी के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपीलार्थी को बिना किसी पूर्व सूचना व बिना किसी नोटिस के दिनांक 23.05.2025 को आदेश जारी कर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का अस्थाई प्रभार श्री आम्बसिंह पुत्र नखतसिंह को सौंप दिया। इसके बावजूद उक्त शिकायत को आधार मानकर अपीलांट के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर प्रकरण पर मौजूद तथ्यों को अनदेखा करते हुए एकतरफा आदेश पारित किया गया हैं। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क है कि ग्रामवासी जसाई के ग्रामीणों द्वारा उचित मूल्य दुकान परो द्वारा खाद्य सुरक्षा राशनकार्ड धारको के माह मार्च व अफैल 2024 के आवंटित गेहूं संबंधित उपभोक्ता को नहीं देकर गेहूं का गबन किया तथा सभी गांव वालों से पोश मशीन पर फिंगर लेकर हाथ से बकाया गेहूं देने की रसीद दी, और बाद में किसी भी राशनकार्ड धारक को गेहूं नहीं दिया। उक्त राशनकार्डो के सदस्यों की राशन सामग्री का उठाव दुकानदार द्वारा बिना आधार सत्यापन के किया गया, जिसका रिकार्ड संधारण भी किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 1,2,4,10,11,14,18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों [illegible] अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। [illegible] का कथन है कि अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान का कार्य करने के लिए प्राधिकार पत्र दिनांक 01.

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:23:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

01.1996 को जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के रूप में सूचारू रूप से नियमित राशन व सेवाऐं ग्रामवासियों को प्रदान करता आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण दिनांक 11.12. 2024 को करने पर अपीलार्थी द्वारा समस्त दस्तावेजात, कार्यवाहीयां, स्टॉक रजिस्टर, पोश मशीन, नक्शा दिया गया तथा अन्य जो भी जांच की गई उसमें सभी पूर्ण दस्तावेज व स्टॉक पूर्ण पाया गया परन्तु इसके बावजूद प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गांव के असामाजिक तत्वों के दबाव मे आकर माह मार्च एवं अफैल 2024 के आवंटित गेहूं हेतु राशनकार्डधारक परिवारों के फिंगर लेकर गेहूं उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आरोप लगाकर, अपीलार्थी के विरूद्व राजनीतिक द्वेष भावना तथा उचित मूल्य की राशन दुकानदार का प्रभार किसी अन्य को देने के लिए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलार्थी पीलिया बुखार से ग्रसित होने के कारण दिनांक 16.01.2025 को जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, जिसकी सूचना अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में प्रदान की गई तथा सुनवाई का एक और अवसर प्रदान नहीं कर बिना किसी नोटिस के दिनांक 23.05.2025 को आदेश जारी कर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का अस्थाई प्रभार श्री आम्बसिंह पुत्र नखतसिंह को सौंप दिया। जबकि अपीलांट द्वारा विभाग की शर्तो की पूर्ण पालना कर लाभाथीयों को समय–समय पर आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क है कि ग्रामवासी जसाई के ग्रामीणों द्वारा उचित मूल्य दुकान परो द्वारा खाद्य सुरक्षा राशनकार्ड धारको के माह मार्च व अफैल 2024 के आवंटित गेहूं संबंधित उपभोक्ता को नहीं देकर गेहूं का गबन [illegible] तथा सभी गांव वालों से पोश मशीन पर फिंगर लेकर [illegible] रसीद दी, और बाद में किसी भी राशनकार्ड धारक को गेहूं नहीं [illegible]। उक्त राशनकार्डो के सदस्यों की राशन सामग्री का उठाव दुकानदार द्वारा बिना आधार सत्यापन के किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:23:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

गया, जिसका रिकार्ड संधारण भी किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 1,2,4,10,11,14,18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई विभागीय गम्भीर अनियमितता होना प्रकट नहीं होता हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 165/2024 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का समग्र विवेचन कर पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

8. आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:23:02 IST
Reason: SelfAttested